(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4026—दो/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 06—07—2015 के द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल, वृत कोठी, तहसील—रघुराजनगर जिला—सतना के प्रकरण क्रमांक 18ए12/2014—15

.....

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा आ0 स्व0 श्री रामऔतार शर्मा
निवासी—ग्राम कोठी, थाना कोठी, तहसील—रघुराजनगर
जिला—सतना, म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1— तेजप्रताप शर्मा आ0 स्व0 श्री श्यामलाल शर्मा
निवासी—ग्राम कोठी, तहसील—रघुराजनगर
जिला—सतना, म0प्र0

2— मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, शासकीय पैनल अभिभाषक, अनावेदक क्र0 2

.....

आदेश

(आज दिनांक 02/05/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल, वृत कोठी, तहसील—रघुराजनगर जिला—सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 06—07—2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि अनावेदक क्र0 1 ने आराजी नं0 226/2क रकबा 6.297 है0 225/2 रकबा 0.146 है0 बाका मौजा शिवसागर तहसील रघुराजनगर,

जिला–सतना के सीमांकन के सम्बन्ध में कलेक्टर (भू0 अभिलेख), जिला–सतना के कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । कार्यालय कलेक्टर(भू0 अभिलेख) के कार्यालयीन पत्र क्र0 1207/18/भू0अभिलेख/स0अ0भू0आ/2015, सतना, दिनांक 01.07.2015 के पालन में तहसीलदार, तहसील –रघुराजनगर द्वारा दिनांक 02.07.15 को आराजी क्र0 226/2 क रकबा 6.297 है0 एवं 225/2 रकबा 0.146 है0 सीमांकन किये जाने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 27.02.2015 को सीमांकन दल गठित किया गया एवं दिनांक 4.07.15 को सीमांकन प्रतिवेदन प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत होने पर दिनांक 21.05.2015 को सीमांकन किये जाने का दिनांक 06.07.2015 को राजस्व निरीक्षक द्वारा पुष्टिकरण का आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया है कि सीमांकन की कार्यवाही विधि प्रक्रिया के विपरीत की गई है। कानून का सर्वमान्य सिद्धांत है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि चौहदी कास्तकार आदेश 1 नियम 1 जा0दी0 के मुताबिक एक आवश्यक पक्षकार होता है, लेकिन प्रकरण के अवलोकन से माननीय न्यायालय को दिग्दर्शित होगा, कि केवल म0प्र0 शासन को पक्षकार बनाकर अनावेदक क्र0 1 में सीमांकन की कार्यवाही सम्पादित कराया है । इस प्रकार ऐसी कार्यवाही जो बिना पक्षकार बनाये अनावेदक क्र0 1 ने सम्पादित कराई है वह शुरू से ही शून्यकरर्णी है और ऐसी कार्यवाही को कानून में कोई विधिक महत्व नहीं है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि संहिता की धारा 129(2) म0प्र0 कानून की स्पष्ट मंसा है कि संहिता की धारा 129 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दशा में धारा 129 (2) का पालन करना आज्ञापक है, यदि धारा 129(2) का पालन न किया गया हो और बिना पालन किये सीमांकन की कार्यवाही की गई हो, ऐसी कार्यवाही स्वमेव दूषित होती है । चौहदी कास्तकार में सभी के हस्ताक्षर नहीं है, कॉलम खाली है। गंगा प्रसाद शर्मा अभी जीवित है। गंगा प्रसाद शर्मा के समाने कॉलम खाली है, किसी के हस्ताक्षर नहीं है और रामानंद गौतम के सामने कॉलम खाली है। जब सूचना दिनांक 21.05.2014 को कही जाती है कि दिनांक 21.05.2014 को 9 बजे सुबह से सीमांकन किया जाना है, तब दिनांक 21.05.2014 को सीमांकन किया जाना चाहिये था, दिनांक 21.05.2015 को सीमांकन किये जाने का आधार बिन्दु ही नहीं था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून में वर्णित प्रक्रिया को नजर अंदाज कर जो दोषपूर्ण ढंग से कार्यवाही का सम्पादन कर सीमांकन

की पुष्टिकरण का आदेश दिया है, वह गलत है। सीमांकन कार्यवाही में जो दल द्वारा फील्ड बुक तैयार करने की बात कही जाती है तथा जहां पर बिन्दु का निर्धारण किया जाना कहा जाता है। बन्दोबस्त में आराजी नं0 225 की मेड़ है, जो कि बन्दोबस्त का एक केन्द्र बिन्दु है, उसे आधार लेना चाहिये, लेकिन टी0 बिन्दु में यानी बन्दोबस्त चिन्ह से कोई आधार नहीं लिया गया, बल्कि सरहदी कास्तकार शिवगोपाल की मेड़ का आधार जो दर्शित किया है, वह गलत है, बल्कि उन्हें टी0 बिन्दु से आधार लेना चाहिये था। टी0 से क्यू0 की दूरी दक्षिण से उत्तर की ओर यदि मौके से नाम की जाये तो नाप करने पर 22 जरीब 70 कड़ी आता है, लेकिन फील्ड बुक के अवलोकन से विदित होगा कि दल द्वारा जो कार्यवाही की गई है, वह 27 जरीब 60 कड़ी बतायी गई है, जो कि प्रथमतः दोषपूर्ण एवं दल द्वारा किया गया सीमांकन अवैधानिक है। दल द्वारा क्यू से पी0 वन की दूरी 12 जरीब बताई है, जबकि मौके में 10 जरीब 10 कड़ी ही स्थिति पाई जाती है। मौके में एम0 वन से एम0 टू की दूरी 9 जरीब 55 कड़ी है, जबकि दल द्वारा 9 जरीब 30 कड़ी बताया है और चिन्ह "ए" से बी की दूरी 8 जरीब 80 कड़ी है, जबकि दल द्वारा 8 जरीब 70 कड़ी बताया गया है। यानी दल द्वारा मनमानी फील्ड बुक बिना नाप किये, घर में बैठ कर सारी कार्यवाही सम्पादन किया है जो विधि के विपरीत है और ऐसी दूषित कार्यवाही कायम रखे जाने योग्य नहीं है। दल द्वारा न तो मौके में सीमांकन किया न ही कोई स्थल पंचनामा तैया किया न ही कोई पत्थर गाड़े गये, न ही कोई केन्द्र बिन्दु कार्यवाह की गई है, जो गलत है और ऐसी सीमांकन कार्यवाही दूषित होने के कारण जो प्रभाव में आकर की गई है, अनैतिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रतिउत्तर में लिखित तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक का यह कहना पूर्णतः असत्य है कि सभी चौहद्दी कास्तकारों के हस्ताक्षर नहीं है। प्रकरण में संलग्न सीमांकन दल द्वारा सीमांकन किये जाने हेतु जारी किये गये सूचना पत्र में चौहद्दी कास्तकारों में गंगा प्रसाद शमा, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा (आवेदक) व उसका भाई महेन्द्र, गोपाल द्विवेदी, रामकृष्ण मिश्रा, रामानन्द गौतम व रघुवर में रामानन्द गौतम को छोड़कर सभी कास्तकारों के सूचना पत्र में हस्ताक्षर है। आवेदक सुरेन्द्र शर्मा व उसके भाई महेन्द्र शर्मा के सूचना पत्र पर हस्ताक्षर है तथा गंगा प्रसाद शर्मा के भी सुरेन्द्र शर्मा के आगे हस्ताक्षर है।

हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 18.05.2011 भी अंकित की है। इस प्रकार से सभी चौहद्दी कास्तकारों के सीमांकन के सूचना पत्र पर हस्ताक्षर है। सूचना–पत्र आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर किये तथा सीमांकन के समय वह स्वयं उपस्थित रहा है। आवेदक के सीमांकन के समय बनाये गये पंचनामा पर भी हस्ताक्षर है, यदि उसे कोई आपत्ति होती तो वह सीमांकन के समय आपत्ति कर सकता था। आवेदक ने यह नहीं दर्शाया है कि सीमांकन से वह किस प्रकार प्रभावित है अर्थात् सीमांकन से उसके स्वामित्व की आराजी प्रभावित हो रही है या नहीं मात्र विरोध के लिये सीमांकन पर आपत्ति कर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। जहॉ तक अन्य चौहद्दी कास्तकारों का प्रश्न है तो अन्य किसी भी चौहद्दी कास्तकारों को कोई आपत्ति नहीं है, यदि किसी को आपत्ति होती तो वह आवेदक के साथ पक्षकार बन कर निगरानी करता या स्वयं पृथक से निगरानी प्रस्तुत कर सीमांकन को चुनौती देता। किसी अन्य चौहद्दी कास्तकारों की ओर से आपत्ति करने का अधिकार निगरानीकर्ता को नहीं है। कानूनन व्यक्ति अपने स्वयं की सम्पत्ति/कृषि भूमि व अधिकार के लिये तो दावा प्रस्तुत कर सकता है किसी दूसर की सम्पत्ति अधिकार के लिये दावा नहीं कर सकता । उन्होंने लिखित तर्क में यह भी कहा है कि निगरानीकर्ता द्वारा अन्य चौहद्दी कास्तकार जिनके नाम तक नहीं बताये गये है कि ओर से आपत्ति निगरानी मेमों में की है। आवेदक के स्थल पंचनामें पर उपस्थिति के हस्ताक्षर है साथ ही अन्य चौहद्दी कास्तकारों के हस्ताक्षर है, इसलिये साक्ष्य विधान की धारा 4 के अनुसार यह उपधारणा की जावेगी कि सीमांकन से आवेदक सहमत है। इसलिये सीमांकन सहमति का होने से आवेदक को निगरानी करने का अधिकार नहीं है। सीमांकन दल द्वारा स्थाई आधार बिन्दु से सीमांकन किया है तथा नाम करके फील्ड बुक तैयार की है। विवादित कृषि भूमि के रकबे अनुसार सही नाप की है, जिसमें किसी भी जरीब कड़ी या फुट का कोई अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा न तो विवादित भूमि का पुनः सीमांकन कराया और न ही किसी विशेषज्ञ से सीमांकन कराया। बिना किसी आधार के सीमांकन में कमी बता कर सीमांकन निरस्त करने की प्रार्थना करना मात्र अवैध वद्धान्ति पूर्वक होने से निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख), जिला–सतना के कार्यालयीन पत्र क्रमांक1207/18/भू–अभि0/स0अ0भू0आ0/2015 सतना, दिनांक 01.07.2015 के पालन में

तहसीलदार रघुराजनगर के पत्र क्र0 2163 दिनांक 02.07.2015 के सम्बन्ध में ग्राम शिवसागर प0ह0 नं0 50 आराजी नं0 226/2क, रकबा 6.297, 225/2 रकबा 0.146 का सीमांकन किये जाने हेतु अनावेदक तेजप्रताप शर्मा पिता श्यामलाल शर्मा के आवेदन पर कार्यालय कलेक्टर(भू–अभिलेख), सतना द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रमांक 329 दिनांक 27.02.2015 को सीमांकन दल का गठन किया गया था, जिसके द्वारा मौके से सीमांकन किया जाकर, सीमांकन प्रतिवेदन मूलतः प्रमाणीकरण बावत दिनांक 04.07.2015 को कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त–कोठी, सतना को प्रेषित किया गया। जिस पर कार्यालय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । तत्पश्चात सीमांकन दल द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का सीमांकन विधिवत पटवारी हल्का नयागांव नं0 50 के माध्यम से सूचना–पत्र जारी कराया गया तथा सीमांकन हेतु नियत दिनांक 21.05.2015 को गठित दल द्वारा सरहदी कास्तकारों सहित आवेदक की उपस्थिति में उक्त वादग्रस्त भूमि का सीमांकन किया गया। सीमांकन पश्चात स्थल पर पंचनामा तैयार किया एवं दिनांक 06.07.2015 को राजस्व निरीक्षक द्वारा इसकी पुष्टि की गई । स्पष्ट है कि प्रश्नाधी सीमांकन में कोई वैधानिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से खारिज की जाती है तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त–कोठी, तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना द्वारा की गई सीमांकन आदेश दिनांक 06.07.2015 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर